न्यायालय कलेक्टर, जिला मण्डला (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 002/(अ–20/3)2022–23

उपवनमण्डल अधिकारी, निवास द्वारा
म.प्र. शासन वन विभाग। आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग। अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 26.05.2022)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, उपवनमण्डल अधिकारी निवास के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवास के माध्यम से तहसील निवास जिला मण्डला के ग्राम मोहगांव वीरान प.ह.नं. 35 रा.नि.म. निवास मे चुटका परमाणु परियोजना में मार्ग हेतु वन विभाग की अर्जित भूमि के बदले मे वन विभाग को वनरोपणी प्रयोजनार्थ भूमि दिये जाने हेतु प्रारूप–एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी निवास को भेजा गया। आवेदक विभाग द्वारा बदले में ग्राम मोहगांव वीरान अवस्थित भूमि खसरा नं. 32 रकबा 32.50 हे. में से 8.20 हे. भूमि की मांग की गई है।

2. प्रकरण जांच एवं प्रतिवेदनार्थ अनुविभागीय अधिकारी निवास को भेजा गया था जो जांचोपरांत प्राप्त हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रारूप दो में जांच प्रतिवेदन तैयार कर भूमि आवंटन की अनुशंसा की है।

3. अनुविभागीय अधिकारी निवास से जांचोपरांत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा विचारोपरांत आवेदक विभाग को उक्त भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः विभाग के नाम भूमि का हस्तांतरण उचित है।

4. अतः म.प्र.नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशो के तहत आवेदित भूमि ग्राम मोहगांव वीरान प.ह.नं. 35 रा.नि.म. निवास खसरा नं. 32 रकबा 32.50 हे. मद शासकीय घास में से 8.20 हे. को उक्त मद से पृथक करते हुए म.प्र. शासन, वन विभाग के नाम चुटका परमाणु परियोजना में मार्ग हेतु वन विभाग की अर्जित भूमि के बदले में वन विभाग को वनरोपणी प्रयोजनार्थ निम्न शर्तो के अधीन हस्तांतरित/अंतरित की जाती है तथा मद परिवर्तन की अपेक्षित अनुमति अनुविभागीय अधिकारी को प्रविष्टियों में संशोधन हेतु प्रदान की जाती है:–

शर्तें

(1) विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा।
(2) भूमि पर विकास निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्थल का अभिन्यास अनुमोदन सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मण्डला से कराया जावेगा।
(3) भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन मे निहित कर ली जावेगी।

(4) यदि भूमि का बाद मे नियत प्रयोजन का उपयोग नही रह जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं परिसंपत्तियो के साथ राजस्व विभाग मे निहित हो जावेगी और आवेदित विभाग को उसका मुआवजा देय नही होगा।

(5) शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के परिपालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित संरचनाओं के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(हर्षिका सिंह)
कलेक्टर, मण्डला
मण्डला दिनांक .05.2022

पृ.क्रमांक / 382 / रीडर / 2022

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सूचनार्थ।
4. उपवनमण्डल अधिकारी निवास को सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार निवास की ओर भेजकर लेख है कि आदेश के पालन में भूमि का विधिवत कब्जा आवेदक विभाग को प्रदान कर कब्जा रसीद एवं संशोधित खसरा बटा नम्बर,नक्शा प्रति संलग्न कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

कलेक्टर
मण्डला